

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

“शुद्धि-पत्र”

विभागीय आदेश संख्या-1487, दिनांक-27.03.2025 के क्रम संख्या-26 के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि “12.10.2022” के स्थान पर “11.10.2022” शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

2. विभागीय आदेश संख्या-1487, दिनांक-27.03.2025 के क्रम संख्या-36 के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि “01.10.20220” के स्थान पर “01.10.2022” शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

3. विभागीय आदेश संख्या-1487, दिनांक-27.03.2025 के क्रम संख्या-43 के स्तम्भ-4 में अंकित तिथि “27.07.2023” के स्थान पर “22.07.2023” शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

4. विभागीय आदेश संख्या-1487, दिनांक-27.03.2025 के क्रम संख्या-106 के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि “29.09.2022” के स्थान पर “30.09.2022” एवं स्तम्भ-5 में अंकित तिथि “29.09.2024” के स्थान पर “30.09.2024” शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।

उक्त आदेश की शेष बातें यथावत रहेगी।

ह0/-

(जीतेन्द्र कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (4) 02/2024-

/पटना-15, दिनांक-

/2025

प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (4) 02/2024-

/पटना-15, दिनांक-

/2025

प्रतिलिपि:-निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित पशु शल्य चिकित्सक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

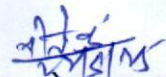
ज्ञापांक:-1/स्था0 (4) 02/2024-

2288

/पटना-15, दिनांक-

23/05 /2025

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।